

१

पत्रांक : डी.टी.प्र०. १५९१ / 2017
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-१७



२०१६

विद्यालय का अधिकारी
 विद्यालय परीक्षा समिति
 पटना-१७

संदेश में

प्राचार्य / प्राचार्या
 परीक्षा कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
 बिहार विद्यालय जिला नगर।

पटना, दिनांक २८/९/2017

विषय : डी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाराज,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित करना है कि क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा दिया गया अधिकारी रोपणी (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के आलोक में रास्थान का रथलीय निरीक्षणोंपरांत समर्पित संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में दर्शायदित रातं/सुआव एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निम्नांकित शर्तों के साथ सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशासा की गयी :-

शर्तें :-

१. राजनीति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा रेगुलेशन-2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
२. महाविद्यालय को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् रेगुलेशन-2014 के परिशिष्ट-२ अनुच्छेद-२.२ (ac) में निहित प्राक्यानों, यथा प्रत्येक वर्ष में दो सौ दिनों का कार्य दिवस समय एवं कक्षा आदि का पालन किया जाना आवश्यक होगा तथा यह अवधि नामांकन एवं परीक्षा कार्य में व्यतिरिक्त की गयी अवधि के अतिरिक्त दार्ता।
३. प्राचार्यावली नामांकन परीक्षण के राज्य में यानीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा College of professional education एवं Maa Vaishno Devi Mahavidyalay बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में परित न्यायादेश जो क्रमशः (2013) 2 SSC 721 एवं (2013) 2 SSC 617 में प्रकाशित करिए 91.1 91.2 के साथ कठिका-२ में दिये गये निर्देश के आलोक में निर्धारित मापदण्डों को पालन करना युक्तिवान् करेगा।
४. एवं मानविद्यावली द्वारा नामांकन एवं कोर्स प्रारम्भ करने हेतु मानीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यायालय की नामांकन किया जाता है अतः विनियमावली में निर्धारित वर्ष संचालन पत्रोंके वर्ष में नामांकन करने की नियमितता दो वर्षीय स्थिति में समिति द्वारा महाविद्यालय को दर्शाय व नामांकन का याकृता देने करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय अथवा विद्यार्थी द्वारा याकृत परीक्षा में सम्मानित होने का दावा अनुभव्य नहीं होगा।
५. विद्युत वित्तन का अधिकारी नामांकन समिति सम्बद्धता प्राप्त सरस्थानों का रामय-रामय पर पदाधिकारियों/विशेषज्ञों के विकाम एवं निरीक्षण एवं परीक्षण करने हेतु राशन होगी।
६. विद्यालय प्रतिवर्षी अपने ग्राम-वायरा सरकारी अंकेक्षण प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।
७. विद्यालय का मानक के अनुसार विनियम परीक्षण करनी एवं वैर-शैक्षणिक कर्मियों के विकाम एवं नियमितता देने का नामांकन एवं उपलब्ध करनी एवं उपलब्ध करनी का विवरण संधारित करना।

१५९१

Principal
 Pratik College of Education
 Siwan



12

2

8. नियुक्ति किये गये शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के पद त्याग करने अथवा हटाये जाने के संबंध में सूचना तत्काल रामिति को दी जाएगी एवं उक्त पद पर नियुक्ति नियमानुसार शीघ्र की जाएगी।
 9. रास्थान के विरुद्ध किसी भी प्रकार का परिवाद/शिकायत प्राप्त होने पर जॉबोपरांत आरोप प्रमाणित होने पर रामबद्धता रद्द करते हुए मान्यता रद्द करने की अनुशंसा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से की जाएगी।
 10. पत्रिवधि नामांकन समिति करने के उपरान्त संस्थान द्वारा एक प्रमाण-पत्र समिति को उपलब्ध कराया जाएगा कि नामांकित वर्षों का प्रमाण यद्य प्राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है एवं इनका सत्यापन निर्गत करनेवाल संवधित संस्थान से करा लिया गया है।
 11. प्रबंधन रामिति का नियमानुसार गठन कर सदस्यों की सूची समिति को उपलब्ध करायी जाएगी।
 12. महाविद्यालय के खाता का संचालन प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य अथवा प्राचार्या एवं परीय व्याख्याता के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
 13. जद कभी भी जरूरी होगा संस्थान को रामिति अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को जानकारी अथवा दखाना उपलब्ध कराने होंगे तथा कोई नहीं अपेक्षित दरताहेज प्रत्युत न कर पाना भी सम्बद्धन की शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा।
 14. संस्थान को ऐसे रिकॉर्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज जो किसी शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए अनिवार्य हैं, रखने होंगे।
 15. संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगा तथा अपनी आधिकारिक बेवसाइट पर अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करेगा। समिति द्वारा समय-समय पर इसकी छानबीन की जाएगी एवं ऐसा नहीं किया जाना सम्बद्धन की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
 16. यदि किसी संस्थान को पूर्व/वर्तमान से सचालित डी.एड. कोर्स की मान्यता सम्बद्धता समाप्त की जाती है तो डी.एल.एड. कोर्स की सम्बद्धता खत समाप्त हो जाएगी।
 17. संस्थान द्वारा नामांकन लेने से पूर्व सभी संकाय सदस्यों की नियुक्ति एवं योगदान के साथ उनके बैंक खाता का आधार नम्बर से सम्बद्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- अतः आदेशानुसार उपरोक्त शर्तों के साथ आपके संस्थान का शैक्षणिक सत्र 2017-19 से 02 यूनिट (100) प्रशिक्षणार्थीयों को दो वर्षीय डी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन

१५/११/१८ निदेशक (शैक्षणिक)

विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

ज्ञापांक : डी.टी.प्र० १५९५ पटना, दिनांक २६/९/2017
 प्रतिलिपि : श्रीराय निदेशक ERC, NCTE क्षेत्रीय कार्यालय, नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर, उडीरा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, विहार, पटना/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, विहार, पटना/अध्यक्ष के आप्त सचिव एवं सचिव के आप्त सचिव, विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

१५/११/१८ निदेशक (शैक्षणिक)

विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

ज्ञापांक : डी.टी.प्र० १५९५ पटना, दिनांक २६/९/2017
 प्रतिलिपि : डिला शिक्षा पदाधिकारी, विहार को सूचनार्थ प्रेषित।

१५/११/१८ निदेशक (शैक्षणिक)

विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

१५/११/१८ Principal
 Pratik College of Education
 Siwan



पत्रांक : टी.टी.प्र० 605 / 2018
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

137

निर्देशक (राज्यालय),
विहार विधानसभा परीक्षा राजिति,
पटना-१७

二

प्राधार्य / प्राचार्य
प्रतीक कॉलेज ऑफ एजुकेशन
थप्पड़ शिवाम्।

10

विषय : डॉ.एल.एड. कासी सचलन हंतु सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने के संबंध में।

४८५

उपरांत विषय के रास्ते में सूचित करना है कि संसीध कायांलंग लालीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मुख्यमंत्री उपरांत के प्राकार F. No. ERC-252.6.13/D/J/Edu/Addl. Intake/2018-26307, दिनांक 03.03.2018 द्वारा प्राचलन किये गये विहार विधालय में एवं विहार विधालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा उन्नति प्रणाली) परिवर्तन सम्बद्धता मानवत्व का परिषेक्षण में एवं विनियोगात्मकी, 2016 के आलोक में स्थानन का रूपीयता विनियोगात्मक रसमिति संयुक्त जैव विभिन्नता में प्रतिवेदन शर्त/सुझाव एवं विवालन परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा उन्नति प्रणाली) पर विनियोग सम्बद्धता मानवत्व का परिवर्तन विनियोगात्मकी 2016 के ग्रन्तीत विनियोगित विनाशकृत शर्तों के सभी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशासा की गयी।

४८०

1. संस्थान द्वारा शैक्षीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा रेगुलेशन, 2014 में नियोंरित मानकों पर गान्धीजी का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
 2. महाविद्यालय को सदृश्य अक्षयापक शिक्षा परिषद रेगुलेशन, 2014 के परिशिष्ट-2 अनुच्छेद-22 (ac) में निहित पाठ्यान्ति, यथा प्रत्येक वर्ष में दो सो दिनों का कार्य विषय समय एवं उक्त अधिकारी का पाठ्य क्रिया आकार ग्रन्थालय द्वारा दो बार अनुचित विषयालय द्वारा विभिन्न वर्षों में विभिन्न दो पर्याप्ति के अनियोग्य होना।
 3. एवं अधिकारी का विषयालय को दो वर्षों में दो विभिन्न वर्षों में विभिन्न दो पर्याप्ति के अनियोग्य होना। College of professional education द्वारा Maa Vaishno Devi Mahila Mahavidyalay नामक उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मालिले में परिचित विषयालय जो क्रमा (2013) 2 SSC 721 एवं (2013) 2 SSC 617 में प्रकाशित करिता 91.1, 91.2 के साथ कॉडिका-2 में दिये गये नियंत्रण के अलोक में नियोंरित विषयालयों को वालन करना सुनियोग्यता करें।
 4. यदि महाविद्यालय द्वारा नामांकन एवं कोर्स प्रारंभ करना हेतु माननीय सर्वोच्च विद्यालय द्वारा नियोंरित समय लीया का उल्लंघन किया जाता है अबका विनियोगावली में विधियोंरित वर्ष सचालन प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 200 दिनों का कार्य विषय पुरी तरीके करती है तो वेरो स्थिति में समिति द्वारा गणविद्यालय को पर्याप्त रोकथाना करना चाहिए जो विधियोंरित वर्ष सचालन प्रत्येक वर्ष समिति को सम्मिलित करें।
 5. इन नियोंरित विषयालय को दो वर्षों में अनुपालन करने का विषय समय पर विविधारिया/विशेषज्ञों का विषय से विभिन्न पर्याप्त विषयालय करने का हेतु रास्तम होगा।
 6. गणविद्यालय द्वारा परिवर्तन अपने जाय विषय से सहवित अक्षयांश प्रतिवेदन रासित का उपलब्ध कराया जाएगा।
 7. सम्भव विवित रूप से मानक के अनुसार विष्युक्त एवं कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के गान्धीजी/विषय का गुणालय वेक के माध्यम से करेंगे एवं उसके मध्येष्ट नियि कर्तौती का विषय स्थापित करें।
 8. नियूका किए गए विषयालय एवं मूल मैट्टर्सिक कार्यी के प्रत लागू करने अथवा उत्तराधिकारों के रखने में सुरक्षा-विकास लायें तो विभिन्न पर्याप्त विषयालय की अवासी नहीं होगी।

Bills Cr



9. शिक्षान संसद के द्वारा दीर्घी में प्रकाशित की जाएगी। अधिकारी पाठ्य बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए गए अधिकारी पाठ्य बोर्ड के द्वारा दीर्घी में प्रकाशित किया जाएगा।
10. अधिकारी पाठ्य बोर्ड के द्वारा दीर्घी में प्रकाशित शिक्षान द्वारा एक प्रमाण पत्र समिति को तकनीकी कलाकृति के लिए एक ऐसा समाचार दिया जाएगा कि उपर्युक्त शिक्षापत्रिय द्वारा निर्मिति कामक है।
11. प्रकाशन नियमानुसार नहीं कर सकता की सुनी समिति को उपलब्ध करायी जाएगी।
12. शिक्षान संसद द्वारा संचालित समिति द्वारा दीर्घी में प्रकाशित की जाएगी।
13. जिस कमी भी जाली होना संभव हो तो समिति द्वारा उपर्युक्त प्रकाशित प्रतिनिधित्व का जाली द्वारा संचालित किए जाएं जाएं ताकि उपर्युक्त प्रतिनिधित्व के द्वारा दीर्घी में प्रकाशित की जाए।
14. शिक्षान द्वारा ऐसे रिकॉर्ड तैयारिर करना उपर्युक्त जी किसी शाकाहारी संस्थान के द्वारा दीर्घी में प्रकाशित की जाएगा।
15. शिक्षान नियमानुसार प्रकाशन का पालन करेगा तथा अपनी आधिकारिक बेबसाइट पर अध्यात्म जानकारी प्रदर्शित करेगा। समिति द्वारा समय पर उक्ती की जाएगी एवं ऐसा नहीं किया जाना समझौते की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
16. यदि किसी शिक्षान को पूर्वी/कर्त्तव्यान से समाप्ति घोषित की जाएगी तो उसकी सम्बद्धता शामात तक जाती है तो ऐसे घोषित की सम्बद्धता सही समाप्त हो जाएगी।
17. शिक्षान द्वारा मानकरता लेने की शर्त दीर्घी के द्वारा दीर्घी में प्रकाशित एवं अमालन के सम्बन्ध में उल्लंघन करने से सम्बद्ध उत्तराधिकार करेगा। अतः आपेण्टिसार उपर्युक्त शर्तों के साथ उपर्युक्त शिक्षान को शेषांकिक सत्र 2018-20 से अंतरिक्ष प्रयत्न की जाती है।

विश्वासभाजन

निदशक (अधिकारी)

विहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना-17

आपांक :
प्रतिलिपि :

टी.टी.प्र. ६८५ / २०१८ , पटना, दिनांक १५/८/२०१८
शोधींग शिक्षक FRC, NCTE भौतिक कार्यालय, नीलकंठ नगर, नवायली, भुवनेश्वर,
उत्तीर्णा/शिक्षक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, पटना/शिक्षक, शाखा दुर्ग प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग
पिहार, पटना/आधिकारी के आवास समिति एवं समिति के आवास समिति, विहार विद्यालय परीक्षा
समिति पटना की सुननकारी प्रेषित।

निदशक (अधिकारी)

विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

आपांक :
प्रतिलिपि :

टी.टी.प्र. ६८५ / २०१८ , पटना, दिनांक १५/८/२०१८
जिला शिक्षा परामिकारी समिति की सुननकारी प्रेषित।

निदशक (अधिकारी)

विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

Principal
Pratik College of Education
Siwan